समक्ष माननीय मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी राजस्व एवं सदस्य म0प्र0
राजस्व मण्डल कैम्प भोपाल

निग-71.86-I-16 प्रकरण क्र. /अपील/16

रविन्द्रसिहं आ0 श्री सरदार गरूलाल सिहं
निवारी ग्राम फीदेवाला तहसील एवं जिला फिरोजपुर
पजांब हाल मुकाम द्वारा सतविन्दर सिहं कार्तिक चौक
किले अन्दर विदिशा म0प्र0 .....अपीलार्थी

विरूद्ध

1. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प कलेक्टर विदिशा
2. उप पर्जीयंक स्टाम्प पर्जीयन कार्यलय गजंबासौदा जिला बिदिशा
3. श्रीमती रश्मि पत्नी स्व0 श्री राकेश खत्री
4. कु0 नेहा पुत्री स्व0 श्री राकेश खत्री

निवासी स्टेशन रोड गजंबासौदा जिला विदिशा म0प्र0 .....प्रत्यर्थीगण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम कि धारा 47–क(5) के अन्तर्गत अपील

माननीय महोदय,

अधीक्षक कार्यालय कमिश्नर भोपाल संभाग, भोपाल

अपीलार्थी विद्वान न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण क्र0 814/अपील/2012–2013 में पारित आदेश दिनांक 25/04/2016 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि ग्राम रजौदा तहसील बासौदा जिला बिदिशा स्थित खसरा क्र0 3/2 रकवा 3.000 हेक्टयर, खसरा क0 4 रकवा 0.240 हेक्टयर, खसरा क0 5 रकवा 2.769 हेक्टयर, खसरा क0 6/4/3 रकवा 4.000 हेक्टयर में से 0.261 हेक्टयर कुल 4 किता रकवा 6.270 हेक्टयर भूमि अपीलार्थी द्वारा सम्पूर्ण विक्रय राशि का भुगतान कर प्रत्यर्थी क0 3 व 4 से क्रय कि गयी । अपीलार्थी द्वारा क्रय कि गयी उक्त भूमि का विक्रय पत्र पर्जीयन हेतु उप पजीयक गजंबासौदा के समक्ष पजींयन हेतु प्रस्तुत किया गया था। परन्तु अप्रैल 2013 में पर्जीयन हेतु पर्याप्त स्टाम्प उपलब्ध नही होने के कारण अपीलार्थी द्वारा केवल रू0 4,30,000/– के स्टाम्प विक्रय पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये परन्तु आवश्यक स्टाम्प प्रस्तुत करने से पुर्व ही प्रत्यर्थी क्र0 1 ने प्रत्यर्थी क0 2 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्व प्रकरण दर्ज करते हुए अपीलार्थी को नियमानुसार सुनवाई का अवसर दिये विना ही विवादित आदेश के द्वारा बाजार मूल्य को आधार मानते हुए मुद्रांक शुल्क रू0 13,16,282/– एवं अर्थदण्ड रू0 100/– कुल रू0 13,16,382/– जमा करने के आदेश दिये । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्व अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कि गयी जो विचाराधीन आदेश के द्वारा निरस्त कि गयी ।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कि जा रही है ।

Ravinder Singh.

XIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील-7186-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12.09.18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम सिंह ठाकुर द्वारा बताया गया कि इस प्रकरण में दिनांक 21.08.2016 को पारित आदेश का पैरा-5 अपूर्ण टंकित है, जिस कारण प्रकरण का सार स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। उनके द्वारा बताई गई त्रुटि की पुष्टि आदेश के अवलोकन से होती है। अत: आदेश के पैरा-5 के स्थान पर पैरा-5 निम्नानुसार पढ़ा जाए :- "5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में संलग्न उपपंजीयक की रिपोर्ट को देखने से स्पष्ट होता है कि उपपंजीयक गंजबासौदा के समक्ष प्रश्नाधीन विक्रय विलेख में भूमि की कीमत 63,00,000/- रुपये एवं बाजारू मूल्य 1,78,69,500/- रुपये अंकित है। विक्रय विलेख पर 4,63,000/- रुपये की स्टाम्प शुल्क चुकाई गई है एवं दस्तावेज में कुल स्टाम्प 1116850 लिखा गया है। उपपंजीयक की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि आवेदक द्वारा स्टाम्प एक्ट की धारा 35(च) के तहत कमी स्टाम्प चुकाने हेतु समय चाहा, जो उन्हें दिया गया। परंतु उनके द्वारा स्टाम्प शुल्क नहीं चुकाया गया। उपपंजीयक ने रिपोर्ट में यह भी लेख किया है उक्त संपत्ति गाईड लाईन वर्ष 2013-14 की कण्डिका 4(3) के अनुसार विशिष्ट ग्राम के अंतर्गत आती है। कण्डिका 4(3) के अनुसार संपत्ति का मूल्य 2,79,40,500/- रुपये बनता है जिस पर स्टाम्प ड्यूटी 17,46,282/- देय है। उन्होंने कमी स्टाम्प शुल्कसमय दिए जाने के पश्चात न चुकाए जाने के कारण प्रकरण स्टाम्प एक्ट की धारा 33 के तहत शेष मुद्रांक वसूली हेतु जिला पंजीयक को भेजा गया। जिला पंजीयक द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुने जाने के उपरांत उपपंजीयक द्वारा प्रतिवेदित मूल्य मान्य करते हुए शेष कमी मुद्रांक शुल्क 13,16,282/- तथा अर्थदण्ड 100/- रुपये कुल राशि 13,16,382/- रुपये शासकीय कोष में जमा करने के आदेश दिए हैं। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए जिला पंजीयक के आदेश में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होने से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।" यह आदेश मूल आदेश का अंग रहेगा। **प्रशासकीय सदस्य**	